शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन): (क) भूमि प्रयोग वर्गीकरण (1989-90) के अनुसार निवल बुआई क्षेत्र 139.52 मि० हैक्टेयर है जिसमें से निवल सिंचित क्षेत्र 45.14 मिलियन हैक्टेयर है। शेष 94.38 मिलिन हैक्टेयर वर्षापात पर निर्भर रह जाता है जो 67.6 प्रतिशत है।

(ख) ड्रिप सिंचाई प्रणाली के लाभों में से एक लाभ सिंचाई के लिए जल की बचत करना है। इस प्रणाली का उद्देश्य दुर्लभ जल संसाधनों के कुशल प्रबंध के रूप में श्रेष्ठ प्रभाव, प्राप्त करना है। यह खेत को जल आप्लवित करने के परम्परागत तरीके के विरुद्ध है।

(ग) और (घ) सरकार का आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बागवानी फसलों में ड्रिप सिंचाई प्रणाली के प्रयोग के लिए 197.1 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय से ड्रिप सिंचाई की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है।

(ङ) आठवीं योजना की ड्रिप सिंचाई योजना में 197.1 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय से ड्रिप सिंचाई के अंतर्गत 1.25 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को शामिल करने का प्रस्ताव है।

परियोजनाओं का विस्तार तथा आधुनिकीकरण

3558. श्री राम जेठमलानी :

डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंत में 158 बड़ी, 226 मझौली तथा 96 अन्य पुरानी परियोजनाएं निर्माणाधीन थीं, जिनका या तो विस्तार किया जाना था या आधुनिकीकरण;

(ख) यदि नहीं, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन परियोजनाओं के निर्माण में विलंब के कारण इनकी निर्माण लागत बढ़ गई है;

(घ) यदि हां, तो उनकी कुल कितनी निर्माण लागत बढ़ गई है;

(ङ) दिसम्बर, 1993 तक निर्माणाधीन सभी सिंचाई परियोजनाओं पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई;

(च) क्या इन परियोजनाओं से उत्पन्न की गई अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का उपयोग किया गया है; यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(छ) और (ज) और कितनी राशि का निवेश करने के बाद सिंचाई क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग किया जा सकता है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (घ) देश में 158 वृहद, 226 मध्यम और 95 विस्तार/नवीकर/आधुनिकीकरण सिंचाई योजनाएं आठवीं योजना में आगे लाई गई। उपर्युक्त में से 103 वृहद, 165 मध्यम और 20 विस्तार/नवीकरण/आधुनिकीकरण सिंचाई योजनाएं योजना आयोग द्वारा स्वीकृत की गई थी तथा उनकी लागत मूल अनुमोदित लागत की तुलना में लगभग 246 प्रतिशत बढ़ गई है। इन परियोजनाओं के पूरा करने में हुए विलंब के अतिरिक्त क्रियान्वयन के दौरान परियोजनाओं के डिजाइनों और व्याप्ति क्षेत्र में परिवर्तन जैसे ये घटक सिंचाई परियोजनाओं पर अधिक समय लगने तथा लागत बढ़ने के लिए उत्तरदायी है। परियोजना प्रस्ताव तैयार करते समय अपर्याप्त अन्वेषण; मुख्य रूप से पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन, भूमि अधिग्रहण के लिए

मूल अनुमानो मे अपर्याप्त प्रावधान ठेकेदारी संबंधी समस्याओं, श्रमिक समस्याओं, आंदोलन आदि के लिए मूल अनुमानों मे अपर्याप्त प्रावधान ।

(ङ) आठवी योजना के शुरू अर्थात् मार्च, 1992 के अंत तक सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं पर 25,013 करोड़ रुपए की राशि व्यय की गई है।

(च) और (छ) इन परियोजनाओं पर सृजित की गई 98,86,000 हैक्टेयर सिंचाई क्षमता के मुकाबले 1991-92 को उपयोग 66,96,000 हैक्टेयर था ।

(ज) क्षमता का सृजन और इसका उपयोग एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है । सिंचाई प्रारंभ करने तथा पूर्ण उपयोग के बीच कुछ वर्षों का अंतर अपरिहार्य है क्योंकि वर्षापोषित कृषि से सिंचित कृषि अपनाने में कृषि तकनीकों में अधिक परिवर्तन करना पड़ता है तथा कृषक नई तकनीकों के साथ सामंजस्य करने में फील्ड चैनलों का निर्माण और सिंचित कृषि के लिए भूमि तैयार करने मे समय लेते हैं। कमान क्षेत्र विकास कार्यो के लिए आठवीं योजना मे 2510.13 करोड़ रुपए का परिव्यय उपलब्ध किया गया है।

सिंचाई परियोजनाओं की निर्माण लागत

3559. डा० जितेन्द्र कुमार जैन :

श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत एक वर्ष के दौरान सिंचाई परियोजनाओं की निर्माण लागत काफी बढ़ गई है क्योंकि इन्हें मूल रूप से तय किए गए समय के लिए भीतर पूरा नहीं किया जा सका और इसके परिणामस्वरूप ये परियोजनाएं अपेक्षाकृत अधिक मंहगी हो गई हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान इस समय चल रही सिंचाई परियोजनाओं के रख-रखाव तथा संचालन पर होने वाला व्यय भी बहुत बढ़ गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन वृद्धियों के कारण सिंचित भूमि पर पड़ने वाले अतिरिक्त वित्तीय बोझ के संबंध में कोई मूल्यांकन किया है;

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्मित तथा संचालित परियोजनाओं के संबंध में प्रति हैक्टेयर कितनी राशि का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ा है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन: (क) जी, हां। आठवीं योजना के शुरू में अनुमोदित निर्माणाधीन 103 वृहद, 165 मध्यम 20 विस्तार/नवीकरण/आधुनिकीकरण योजनाओं की लागत मूल अनुमोदित लागत की तुलना में लगभग 246 प्रतिशत बढ़ गई है।

(ख) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से प्राप्त वर्ष 1974-75 से 1986-87 की अवधि के लेखा परीक्षित व्यय के आधार पर यह पाया गया है कि सिंचाई और बहु-प्रयोजनी परियोजनाओं पर कार्य व्यय, जिसमें प्रचालन तथा अनुरक्षण प्रभार शामिल है, वर्ष 1974-75 में हुए लगभग 95 करोड़ रुपए से बेतहाशा बढ़ कर वर्ष 1986-87 में 490 करोड़ रुपए हो गया है।

(ग) आठवें वित्त आयोग ने सामान्य मरम्मत विशेष मरम्मत और नियमित स्थापना सहित अनुरक्षण के लिए सकल सिंचित क्षेत्र की 100 रुपए प्रति हैक्टेयर तथा उपयोग न की गई क्षमता के अनुरक्षण के लिए 30 रुपए प्रति हैक्टेयर संचित राशि की सिफारिश की थी। नौवें वित्त आयोग ने उपयोग की गई क्षमता के लिए 180 रुपए प्रति हैक्टेयर तथा उपयोग न की गई क्षमता के लिए 60 रुपए प्रति हैक्टेयर राशि की सिफारिश की थी। इसने 5 प्रतिशत वार्षिक दर पर मूल्य वृद्धि की भी सिफारिश की है।